बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

पत्रांक :- 650/502 दिनांक :- 06/11/2026

ग्रा0वि0 16(विविध)-02/2025

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3277 दिनांक-26.02.2013 के अनुरूप विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न रोकने एवं तत्संबंधी शिकायतों/परिवादों के प्रभावी निष्पादन हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-4460351 दिनांक-12.08.2025 द्वारा पूर्व में गठित परिवाद निवारण समिति को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	पद
1	श्रीमती मंजु प्रसाद, अपर सचिव	अध्यक्ष
2	श्री विभाकर कुमार, अवर सचिव	सदस्य
3	श्री रोहित कुमार, प्र0पदा0	सदस्य
4	श्रीमती अनमोला कुमारी, स0प्र0पदा0	सदस्य
5	श्रीमती रित्वी कोमल, स0प्र0पदा0	सदस्य
6	श्रीमती सुधा वर्गीज, नारी गुंजन (गैर सरकार संगठन)	बाह्य सदस्य

2. पूर्व आदेश की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

3. इसमें अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

06/11/26

(विकास कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 650/502 /पटना, दिनांक- 06/11/2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ विभाग के सभी कोषांग/ लेखा शाखा/ प्रभारी पदाधिकारी/ समिति के पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/11/26

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 650/502 /पटना, दिनांक- 06/11/2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम (दरोगा राय पथ, रोड नं0-02) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 650/502 /पटना, दिनांक- 06/11/2026 06/11/26

प्रतिलिपि- आई0टी0प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/11/26

सरकार के अवर सचिव